आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4) प्रवेश नीति(सामान्य)/अकाद/आकाशि/2023–02485/पार्ट/ दिनांकः

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) एस.एफ.एस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों में एस.एफ.एस पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर(पूर्वार्द्ध) में 20 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 की अनुपालना में मेरिट जारी की गई, किन्तु मेरिट के पश्चात् फीस जमा करवाने वाले विद्यार्थियो की संख्या 20 से कम है, उन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नीति सत्र 2023–24 के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 20 के स्थान पर 05 किया जाता है। (शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1) शिक्षा–4/2000/पार्ट दिनांक 24.08.2002 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कोर्सेज के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।)

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2023–24 के लिए स्थगित रहेगा तथा 05 से कम प्रविष्ट विद्यार्थियों रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रम या उसी पाठ्यक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हो तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त शिथिलन अकादमिक सत्र 2023–24 के लिए ही मान्य होगा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सम्बन्धित महाविद्यालय को ईमेल करने हेतु।

(डॉ.सीमा कश्यप)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kashyap
Designation : Associate Professor
Date: 2023.09.23 1?:53:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4784544

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4) प्रवेश नीति(सामान्य)/अकाद/आकाशि/2023–02485/पार्ट/ दिनांकः

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) एस.एफ.एस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों में एस.एफ.एस पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर(पूर्वार्द्ध) में 20 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.2 की अनुपालना में मेरिट जारी नहीं की गई, उन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नीति सत्र 2023–24 के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 20 के स्थान पर 05 किया जाता है तथा प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले प्रवेशार्थियों से ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करवाने वाले विद्यार्थियों का शुल्क का डाटा ऑनलाईन इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। (शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1) शिक्षा–4/2000/पार्ट दिनांक 24.08.2002 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कोर्सेज के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।)

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2023–24 के लिए स्थगित रहेगा तथा 05 से कम प्रविष्ट विद्यार्थियों रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रम या उसी पाठ्यक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हो तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त शिथिलन अकादमिक सत्र 2023–24 के लिए ही मान्य होगा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सम्बन्धित महाविद्यालय को ईमेल करने हेतु।

(डॉ.सीमा कश्यप)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kashyap
Designation : Associate Professor
Date: 2023.09.23 15:53:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4784545